

आदेश

श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, खरखौदा को निदेशालय के पृ० क्रमांक डी.यू. एल.बी./स्था./2ई/2018/55540-44, दिनांक 5-6-2018 द्वारा नगरपालिका, खरखौदा से नगर निगम, रोहतक में किए गए स्थानान्तरण आदेश रद्द करते हुए श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, खरखौदा को नगरपरिषद, गोहाना में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद के विरुद्ध तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थान: पंचकुला
दिनांक 6-7-2018

नितिन कुमार यादव,
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

पृ० क्रमांक: डी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2018/ ⁶⁴⁷¹⁰⁻¹⁴ दिनांक: ^{9/7/18}

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, सोनीपत।
2. आयुक्त, नगर निगम, रोहतक/सोनीपत।
3. सचिव, नगरपालिका, खरखौदा।
4. श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, खरखौदा

Nehar 9/7/18
अधीक्षक (स्थापना)
कृते निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

आन्तरिक वितरण:

1. नीजि सचिव/ओ०एस०डी०, मुख्य मन्त्री।
2. नीजि सचिव/यू०एल०बी०एम०।
3. निजी सहायक/म०नि०श०स०नि०।
4. निजी सहायक/अ०नि०श०स०नि०।
5. नोडल आफिसर, वैब पोर्टल।